

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 25/7/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विरेन्द्र कुमार सिंहाग, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/434/90) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ०नि०), श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ०नि०), श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री कृष्ण राम, विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ०नि०), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

इच्छा
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

पूर्ण
राजेश गुप्ता

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक २५।७।२५

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 30 (सी) के द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए श्री विजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/1561/99) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एकट), श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.एकट), श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


श्री अजय बलाना, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.एकट), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

२०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


२५।७।२५

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज / वाद / 24

:: आदेश ::

जयपुर, दिनांक 25/7/24

दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15, 16 एवं 17 के अनुसार श्री नितिन कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/2654/02) को विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीडन) श्रीगंगानगर में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन) श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चय) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री बलवंत राम, विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

२०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलकटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

25/7/24
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 25/7/24

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं02, श्रीगंगानगर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री हरवीर सिंह बराह, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर/2691/10) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं02, श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती नवप्रीत कौर, विशिष्ट लोक अभियोजक, सं02, श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

३०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 25/7/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजक को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या आग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01, श्रीगंगानगर	श्री राजपाल (आर/381/14)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, श्रीगंगानगर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02, श्रीगंगानगर	श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल (आर/604/10)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, श्रीगंगानगर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर	श्री इन्द्रजीत सिंह (आर/265/07)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर	श्री मेजर सिंह (आर/601/93)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र.सं०	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री राजीव कौशिक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, श्रीगंगानगर
2	सुप्रीमा चितलांगिया	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, श्रीगंगानगर
3	श्री सुरेश कुमार गोयल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4	श्री सन्त कुमार	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर


आज्ञा से

(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता) 
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 25/7/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री सतविन्द्र सिंह गिल, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं आर/1060/2000) को श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से दीवानी प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक (सिविल) श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री जसवीर सिंह मिसन, अपर लोक अभियोजक (सिविल) श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

टॉ
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि